

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री विरेन्द्र

किस्म मुकदमा -88,188 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती लक्ष्मीबाई

पत्रावली संख्या : 100/25

जीसीएमएस : 2025/210

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 15.05.2025</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी. (राजीनामा) का पेश कर वाद विद्धो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी. (राजीनामा) विद्धो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विद्धो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी एवं स्वयं वादी को प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) को पढकर अधिवक्ता वादी मय वादी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादी की पहचान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादी मय वादी अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्धो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 जा.दी.(राजीनामा) वाद विद्धो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्धो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

